न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 01 / 2018

1—प्रेमलता
2—विनोद उर्फ विनिता } पुत्रीयान सीपो जाति जाट निवासी कुम्हा
3—अनिता } तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 3—5—1986 बाबत नामान्तकरण संख्या 02 बाके ग्रांम कूम्हां तहसील भरतपुर ।

———

उपस्थितः—
1—श्री प्रमोद उपमन अभि. अपीलान्ट
2—श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 28.6.2018

अपीलान्टान ने उक्त दोनों अपीलें विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश 3—5—1986 बाबत नामान्तकरण संख्या 02 बाके ग्रांम कूम्हां, तहसील भरतपुर पेश की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक सीपो पुत्र मोहकसिंह की विरासत का मुकेश कुमार, कोशलेन्द्र सिंह, मु. कृष्णा कुमारी के नाम दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 02 से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 02 मृतक सीपो की विरासत का केवल पुत्रों के नाम स्वीकार किया गया है, जब कि मृतक सीपो यानि अपीलान्टस तीन पुत्रीयॉ भी थी और आज भी जीवित हैं। अपीलान्टस भी अपने पिता की विरासत में भाईयों के साथ अपना हक प्राप्त करने की अधिकारी हैं। विवादित नामान्तकरण में प्रार्थीयों को उनके जायज हक से महरुम किया गया है। योग्य अभिभाषक ने यह भी जाहिर किया प्रारम्भ से शून्य व अवैध दस्तावेज की अपील करने की कोई म्याद नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे तथा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 3.5. 86 निरस्त किया जावे। अपीलान्टस को भी मृतक पिता सीपो की विरासत में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार भरतपुर को आदेश दिये जावे।

Web Copy - Not Official

राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश में दर्ज व्यक्तियों को अपील में पक्षकारान नहीं बनाया गया है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of- Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 02 ग्रांम कूम्हां तहसील भरतपुर का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण मृतक सीपो पुत्र मोहकमसिंह की विरासत का तीन पुत्रों के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्टस जो कि अपने आप को मृतक सीपो की पुत्रीयॉ होना बताते हुये मृतक सीपो की विरासत में अपना हक दर्ज कराने की प्रार्थना की गई है। विवादित नामान्तकरण के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा मृतक सीपो के विरासत की कोई जांच नहीं की गई है महज मुताविक प्रमाण–पत्र सरंपच ग्रांम पचायत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जबकि तहसीलदार को मृतक सीपो की विरासत की जांच मजमें आम में की जाकर सजरा बनाया जाना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश को समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अस्तु प्रकरण को पुनः जॉच हेतु तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 3.5.86 निरस्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक सीपो पुत्र मोहकमसिंह की विरासत की पुनः जॉच करें। अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को भी सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये नियमानुसार विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर